

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2021 — पौष 25, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2014/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 14 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क.37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 3-ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“3-ग. नगरपालिका मतदाता सूची का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची से समन्वय करना.—

(1) नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची, नगरपालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा चुनाव के मतदान केन्द्रों की, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नामों को, नगरपालिक वार्डों के अनुसार बांटकर, तैयार की जायेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने हेतु जारी कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के पूर्व तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अद्यतन मतदाता सूची को ही, उप-नियम (1) के अधीन कार्य हेतु आधार बनाया जायेगा।

(3) इस प्रकार उप-नियम (2) के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची को, नियम 4 के अधीन दावा तथा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जायेगा।”

2. नियम 5 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिक क्षेत्र की सीमा में हो, की मतदाता सूची में दर्ज हो, किन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 4 के अधीन जारी नगरपालिका की मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर अशुद्ध विशिष्टियां सहित नाम प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम सूची में सम्मिलित कर लिए जाने पर आपत्ति हो, नियम 4 के अधीन सार्वजनिक सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम दिन को अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी को, उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर, अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्रस्तुत कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी :

परंतु यह कि इस उप-नियम में अंतर्विष्ट विपरीत किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति भी, जिसका नाम संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संधारित मतदाता सूची में ऐसी अवधि में, जो नियम 4 के उप-नियम (1) में उल्लिखित निर्वाचक नामावली की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) के प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होने की तिथि से, नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त दावा तथा आपत्तियां, नियम 6 के अधीन निपटारा करने की विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि तक दर्ज कर लिया गया हो, नगरपालिका निर्वाचन की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए इस उप-नियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 1-5/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2014/18 दिनांक 15-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 15th January 2021

NOTIFICATION

No. F 1-5/2014/2018.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 14 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of Section 32 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes following further amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 3-B, the following shall be added, namely:-

“3-C. Alignment of Municipal Voters List to the Voters List prepared by the Election Commission of India.— (1) The voters list for Municipal election shall be prepared by dividing, according to wards, the voters whose names appear in the current voters list prepared by the Election Commission of India, in respect of election booths of assembly elections falling within the municipal area.

(2) The voters list as updated by the Election Commission of India till the date prior to the date of publication of the public notice issued by the State Election Commission for preparation of voters list, alone shall be the basis for action under sub-rule (1).

(3) The voters list prepared in accordance with sub-rule (2) shall be published for inviting claims and objections under Rule 4.”

2. For sub-rule (1) of rule 5, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any such person whose name appears in the voters list published by the Election Commission of India in respect of the area falling within municipal limits, but does not appear in the voters list published by the Registration Officer under rule 4, or whose name has been entered in the wrong place with incorrect particulars, or any person the inclusion of whose name is objected to, may before 3.00 p.m. on the last date as specified in the public notice under rule 4, submit his claim or objection to the Registration Officer through an application duly signed by him in writing, and no claim or objection shall be accepted if submitted thereafter:

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this sub-rule, any person whose name has been included in the Voter List for the related assembly constituency maintained by the Election Commission of India, during the period from the date of publication of the public notice for Voter List under sub-rule (1) of rule 4, to the specified last date for disposal under rule 6, of claims and objections received under sub-rule (1) of rule 5, may also file application under this sub-rule for inclusion of name in the Voters List for municipal election.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.